183

# न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक ..... /2016

पुनरीकक्षणकर्ता/आवेदक – **श्री अमर सिंह गौंड़** उम्र 52 वर्ष पिता श्री रतीराम गौंड़
निवासी– 29, ग्राम टीगन थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 2190 1591 0336

**विरुद्ध**

उत्तरवादी/अनावेदक – **(1) श्री कौशिक शर्मा** उम्र 38 वर्ष पिता श्री विष्णु प्रसाद शर्मा
निवासी– सिद्धेश्वर मंदिर के पास, गंगा नगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 8042 8478 8661
**(2) मध्यप्रदेश शासन**

प्रस्तुत

## रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिविजन राजस्व प्रकरण क्रमांक 116/अ–21/2015–16 अमर सिंह गौंड़ विरुद्ध श्री कौशिक शर्मा ने माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 से व्यथित होकर वर्णित तथ्यों एवं ग्राउंड के आधार पर प्रस्तुत की गई है ।

### रिविजन के तथ्य

1. यह कि रिविजनकर्ता आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है तथा ग्राम पिंडरई प.ह.नं. 36/28 रा.नि.मं. जबलपुर–2 तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 77/2 रकबा 0.400 हैक्टे.(एक एकड़) भूमि सिंचित/असिंचित भूमि के मालिक काबिज स्वामी है तथा तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है ।
2. यह कि आवेदक द्वारा अपनी उपरोक्त काश्तकारी भूमि विक्रय करने का अनुबंध पत्र अनावेदक क्र. 1 एवं 2 के मध्य दिनांक 20.08.2015 को किया था एवं उक्त भूमि के विक्रय करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन धारा 165 (6) सहपठित खंड 2 म.प्र. भू.रा.संहिता के अंतर्गत माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जबलपुर के समक्ष दिनांक 01.02.2016 को प्रस्तुत किया था । जिसका प्रकरण क्रमांक 116/अ–21/2015–16 था । उक्त आवेदन पर दिनांक 24.05.2016 को तर्क सुनने के पश्चात दिनांक 06.06.2016 को प्रकरण आदेश हेतु नियत किया जाकर दिनांक 06.06.2016 को आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया गया ।
3. यह कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक विक्रय की गई भूमि के अतिरिक्त ग्राम टीगन प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 126 रकबा 1.960 हैक्टे., खसरा नंबर 279 रकबा 0.250 हैक्टे., खसरा नंबर 285 रकबा 2.340 हैक्टे., खसरा नंबर 422 रकबा 0.160 हैक्टे., खसरा नंबर 396 रकबा 0.430 हैक्टे., इस प्रकार कुल रकबा 5.14 हैक्टे. याने बारह एकड़ पचासी डिसमिल भूमि सिंचित/असिंचित भूमि शेष बच रही है जिसका आवेदक पूर्ण मालिक स्वामी होकर काबिज है । शासकीय अभिलेखों में उक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है ।

क्रमशः.....2

# राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

## अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2196/1/2016 जिला–जवलपुर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22.7.16. | यह निगरानी कलेक्टर , जवलपुर द्वारा प्रकरण कमाक 43/अ–21/2015–16 मैं पारित आदेश दिनांक 06–06–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 कें तहत प्रस्तुत की गई हैं।<br>2– आवेदक के विद्धान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं उनकी ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एंव अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पस्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक हरप्रसाद मरावी पुत्र श्री छोटेलाल मरावी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एंव आधिपत्य की ग्रम टींगन प.ह.न. 40 रा.नि. मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर स्थित भूमि खसरा नं 379 रकवा 0.860हे. (2.12 एकड) को अनावेदक महेन्द्र खरे पिता श्री नरसिग खरे को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।<br>3– कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया ।अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार बंरगी को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा | |

निग.- 2196-I/16 (जबलपुर)

विधिवत जांच कर तथा उभय पक्ष के कथन लेने के उपरात भूमि विकय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होन के उपरांत आवेदक द्धारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्धारा खारिज किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पर काफी कर्ज एवं बैक का ऋण वकाया है , इस कारण उसे चुकाने हेतु शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया गया है प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण उनके द्धारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था ऐसी स्थिति मे कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर करना चाहिए था उनके द्धारा ऐसा न करते हुये प्रकरण में 3 माह आगे की तिथी नियत कर दी है जो न्यायोचित नही है। दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्धारा ही उनके द्धारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण गुण दोष पर करते हुये उन्हे आवेदित भूमि विकय की अनुमति दी जाये।

4– मेरे द्धारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं , तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन मे स्पस्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया गया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किन्तु इश्तहार पर कोई आक्षेप नही आया। प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नही है,भूमि विकय करने से आवेदन पर विपरीत असर नही पडेगा । उक्त भूमि विकय के उंपरात आवेदक के पास 3.10 हे0 भूमि ग्राम मुकुनवारा एवं सिवनीटोला में शेष बचती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की

निग.-2196-1/16 (तवसप्र)

ग्रम टींगन प.ह.न. 40 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर मे स्थिति भूमि खसरा नं. 379 रकवा 0.860हे. (2.12 एकड ) भूमि को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

1–भूमि का कय–विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2–भूमि का कय –विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3–केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य